



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261135
CG-DL-E-18022025-261135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 853]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946

No. 853]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

का.आ. 857(अ).— केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतत् द्वारा भारत सरकार के पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 12 अगस्त, 1986 की अधिसूचना सं. का. आ. 486 (अ) में निम्नलिखित आगे और संशोधन करती है अर्थात् –

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

धारा 4 की उप धारा (4) के खण्ड (घ) के तहत नियुक्त :

- | | | |
|------|---|---|
| “ 4. | श्री दर्शन सिंह चौधरी,
संसद सदस्य, लोक सभा | सदस्य
(वह दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा लोक सभा के सदस्य बने रहने तक,
इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पद पर बने रहेंगे); |
| 5. | डॉ. मोहम्मद जावेद,
संसद सदस्य, लोक सभा | सदस्य
(वह दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा लोक सभा के सदस्य बने रहने तक,
इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पद पर बने रहेंगे); |
| 6. | श्री बंशीलाल गुर्जर,
संसद सदस्य, राज्य सभा | सदस्य
(वह दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा राज्य सभा के सदस्य बने रहने
तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पद पर बने रहेंगे);”. |

[फा.स.6/33/2017-ईपी(एग्री.IV)(पार्ट.1)]

राजेश अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण: मुख्य अधिसूचना 12 अगस्त, 1986 के का. आ. 486 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 16 मार्च 2024 के का. आ. 1431 (अ) के तहत किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of commerce)****NOTIFICATION**New Delhi, the 17th February, 2025

S.O. 857(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486 (E), dated the 12th August, 1986, namely:-

In the said notification, for serial numbers 4, 5 and 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

Appointed under clause (d) of sub-section (4) of section 4:

- | | | |
|-----|--|--|
| “4. | Shri Darshan Singh Choudhary,
Member of Parliament, Lok Sabha | Member
(He shall hold office for a period of two years or
till he holds office of Member of Lok Sabha,
whichever is earlier); |
| 5. | Dr. Mohammad Jawed,
Member of Parliament, Lok Sabha | Member
(He shall hold office for a period of two years or
till he holds office of Member of Lok Sabha,
whichever is earlier); |

6. Shri Banshilal Gurjar,
Member of Parliament, Rajya Sabha

Member

(He shall hold office for a period of two years or till he holds office of Member of Rajya Sabha, whichever is earlier);”.

[F. No. 6/33/2017-EP (Agri. IV) Pt.1]
RAJESH AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* S. O. 486 (E), dated the 12th August, 1986 and lastly amended *vide* S.O. 1431 (E), dated the 16th March, 2024.